Prasar Bharati (India's Public Service Broadcaster) PBRB Cell

Prasar Bharati House Copernicus Marg, New Delhi-110001

No. N-10/001(3)/2017-PBRB

Dated: N December, 2018

CIRCULAR

Subject: Notification of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration Recruitment Rules, 2018 and Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2018 by Ministry of Information & Broadcasting in Gazette of India Extraordinary Part II – Section 3 – Sub-section (i) dated 05.12.2018.

A copy of the subject notification, as downloaded from the Government of India official website <u>www.egazette.nic.in</u>, is enclosed for information of all concerned.

(Alok Kumar Sharma) Deputy Director (PBRB)

To

1.2

1. The Director General,

Directorate General, AIR, Akashvani Bhawan, New Delhi-110001
 The Director General,

Directorate General, Doordarshan, Copernicus Marg, New Delhi-110001

- 3. The General Secretary, Akashwani & Doordarshan Administrative Staff Association,
 - DG:Doordarshan, Copernicus Marg, New Delhi-110001.



Director (Technical), Prasar Bharati for uploading the Gazette Notification on (i) Prasar Bharati's website and (ii) Digilocker.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	862]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940	
No.	862]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940	

सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली 5 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1169(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1963 को जहां तक उनका संबंध उप निदेशक प्रशासन पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में उप निदेशक प्रशासन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रांरभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) उप निदेशक प्रशासन भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर –उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपबद्ध संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरईता - वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

/19 GI/2018

(1)

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा केरना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और वैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
उप निदेशक प्रशासन	*14(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण 1. : पदों की संख्या उस श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारीं सेवकों द्वारा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2. ये नियम सभी उप निदेशक प्रशासन के केंद्रीय सरकार से अधिवर्षिता हो जाने पर लागू नहीं रहेंगे, जो निगम में	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 11 (67700- 208700 रू)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

अनुसूची

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती की जाएगी या पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन से भर्ती की जानी है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10.	11.	12.	13.
प्रोन्नति द्वारा टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग में किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां कर्मचारियों के दो प्रवर्गों अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी, जैसा निगम विनिश्चय करे। टिप्पण-2: किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां, जो कि इन नियमों के अंतर्गत प्रोन्नति की पद्धति के जरिए भरने से रह जायेंगी, उन्हें निगम द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति (अनुबंध अल्प कालिक संविदा सहित) द्वारा भरा जायेगा।	वेतन मेट्रिक्स के स्तर 8 (47600- 151100 रू) लेखा निरीक्षक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां कनिष्ठ कर्मियों की अर्हता या पात्रता सेवा की है। टिप्पण: जहां कनिष्ठ कर्मियों की अर्हता या पात्रता सेवा पूर्ण होने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा, वशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा अथवा दो वर्ष की सेवा, जो भी कम है, रखते हैं, और अगले उच्च श्रेणी की प्रोन्नति के लिये परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही अर्हता	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिये) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम - अध्यक्ष; 2.संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय-सदस्य; 3. महानिदेशक, बूरदर्शन-सदस्य विभागीय पुष्टिकरण समिति: 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम - अध्यक्ष; 2.संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय-सदस्य; 3. महानिदेशक, आकाशवाणी-सदस्य; 4. महानिदेशक, बूरदर्शन-सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं.-ए-48011/1/2014-बीए(पी)] विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

1,0

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

24

New Delhi, the, 5th December, 2018

G.S.R. 1169(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Deputy Director of Administration, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Administration in Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2)

[PART II—SEC. 3(i)]

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Disqualification. - No person,-

4

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post- or non- selection post.	for direct	Educational and other qualifications required for direct recruits.	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Deputy Director of Administration.	14* (2018) *Subject to variation dependent on workload. Note 1 The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note 2. These rules shall cease to	Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 11 (Rs.67700- 208700)	Selection Post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

SCHEDULE

	exist on the superannuation of all Deputy Directors of Administration from the Central Government who are on deemed deputation to Corporation.	i.		
Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Grade from which recruitment by promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
9.	10.	11.	12. Departmental Promotion	13. Not
Two years.	By Promotion. Note-1: The vacancies arising in a particular year shall be filled up by promotion from two categories of employees in the feeder grades, that is, the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. Note-2: The vacancies arising in a particular year, which remain unfilled through the method of promotion under these rules, shall be filled up by deputation (including short-term [#] contract) in accordance with the regulations notified by the Corporation.	Promotion: Inspector of Accounts/ Senior Administrative Officer in Level 8 (Rs. 47600-1,51,100/-) of the Pay Matrix in Akashwani or Doordarshan with six years, regular service in the grade. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their senior shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Committee (for considering promotion) consisting of:- 1.Chief Executive Officer, Corporation – Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member; 3. Director General, Akashvani – Member; 4. Director General, Doordarshan – Member. Departmental Confirmation Committee: 1.Chief Executive Officer, Corporation – Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting- Member; 3. Director General, Akashvani – Member;	applicable.

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1170(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1962 को जहां तक उनका संबंध लेखा निरीक्षक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के पदों से है और आकाशवाणी कनूह 'च' पद भर्ती नियम, 1994 को, जहां तक उनका संबंध प्रधान लिपिक/लेखाकार/वरिष्ठ भंडारी के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में लेखा निरीक्षक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान लिपिक/सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते-हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 लागू होना-- ये नियम इन नियमों के साथ अनुसूची के स्तंभ । में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे और केवल पोषक प्रवर्ग के उन कर्मचारियों के लिए लागू होंगे जो सरकारी सेवक निगम में प्रतिनियुक्तिवत होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर –उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरईता - वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा

की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंदीय सरकार दारम्इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

.....

जिनेकी महाव सर्पतर हारण्ड्स राजव न रागव-रागव गर नारत गण्ड गर्ड नावला में नेडेला र जेड	14 114 13 36
जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है	1

				28		land a second		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आसु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्ष की अवधि यदि को हो।

अनसची

[भाग II-खण्ड 3(i)]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>1.</u> 1. लेखा निरीक्षक/ वरिष्ठ ग़शासनिक अधिकारी	2. *45(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण 1.: पदों की संख्या उस श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय, निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवकों द्वारा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2. ये नियम सभी लेखा निरीक्षकों/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के केंद्रीय सरकार से सेवानिवृत्त हो जाने पर लागू नहीं रहेंगे, जो निगम में	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	4. स्तर 8 (47600- 151100 रू)	<u>5</u> . चयन पद	6. लागू नहीं होता	7. लागू नहीं होता	8. लागू नहीं होता	9. लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10.	-a- 11.	12.	13.
प्रोन्नति द्वारा टिप्पण: पोषक प्रवर्ग में किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां कर्मचारियों के दो प्रवर्गों अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी जैसा निगम विनिश्चय करे।	142400 रू) में स्तर 7 में प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है।	 उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी: अध्यक्ष; उप महानिदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन: सदस्य; निदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी-सदस्य; 	लागू नहा हाता

7

4

8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

set

	पात्रता सेवा, इन अर्हता/पात्रता सेवा की आधी से ज़्यादा या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली गई है, और अगले उच्च श्रेणी की प्रोन्नति के लिये परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक कर ली गई हो, जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>1.</u> 2. प्रशासनिक अधिकारी	2. *102(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण1. : पदों की संख्या उस श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय, निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवकों द्वारा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित,	4. स्तर 7 (44900- 142400 रू)	<u>5.</u> चयन पद	6. लागू नहीं होता	7. लागू नहीं होता	8. लागू नहीं होता	9. लागू नहीं होता
	टिप्पण 2. ये नियम सभी प्रशासनिक अधिकारियों के केंद्रीय सरकार से सेवानिवृत्त हो जाने पर लागू नहीं रहेंगे, जो निगम में प्रतिनियुक्तिवत हैं।							

10.	11.	12.	13.
प्रोन्नति द्वारा टिप्पण: पोषक प्रवर्ग में किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां कर्मचारियों के दो प्रवर्गों	रू) में स्तर 6 में प्रधान लिपिक/सहायक, जिन्होंने श्रेणी		लागू नहीं होता
अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवक और निगम के अधिकारियों और		 उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी: अर्ध्येक्ष; 	
कर्मचारियों द्वारा भरी जाएंगी जैसा निगम विनिश्चय करे।	केंग का का जिला दिया जा	2. उप महानिदेशक (प्रशासन),	

[भाग II-खण्ड 3(i)]

X	उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा, इन अर्हता अथवा पात्रता सेवा की आधी से ज़्योदा या दो वर्ष, जो भी कम है, हो गई है, और अगले उच्च श्रेणी की प्रोन्नति के लिये परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी की गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है।	दूरदर्शन: सदस्य; 3. निदेशक आकाशवाणी-सदस्य;	(प्रशासन),	
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3. प्रधान लिपिक/ सहायक	* 561(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण1- प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या उस श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवकों द्वारा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित,	स्तर 6 (35400- 112400 रू)	उ. चयन पद	ह; लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष
-9 4 -	टिप्पण 2-ये नियम सभी प्रधान लिपिकों/सहायकों के केंद्रीय सरकार से सेवानिवृत्त हो जाने पर लागू नहीं रहेंगे, जो निगम में प्रतिनियुक्तिवत हैं।	~	1				-se	

10.	11.	12.	13.
प्रोन्नति या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग	में स्तर 4 में प्रवर श्रेणी लिपिक, जिल्होंने श्रेणी में दस वर्ष की	मिलकर बनेगी:-	लागू नहीं होता
में किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत िक्तियां	नियमित सेवा की है।	1,उप यहानिदेशक (प्रथासन),	

9

10

कर्मचारियों के दो प्रवर्गों अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत् सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी, जैसा निगम विनिश्चय करे। टिप्पण 2: इन भर्ती नियमों के अधीन किसी वर्ष विशेष में होने वाली रिक्तियां तीन पद्धतियों से, अर्थात साठ प्रतिशत रिक्तियां तीन पद्धतियों से, अर्थात साठ प्रतिशत रिक्तियां तीन पद्धतियों से, अर्थात साठ प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति से और बीस प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से भरी जायेंगी, शेष बीस प्रतिशत रिक्तियां निगम द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार सीधी भर्ती से भरी जायेंगी।	वेतन मेट्रिक्स (25500-81100 रू) में स्तर 4 में प्रवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा निगम द्वारा अधिसूचित परीक्षा की स्कीम के अनुरूप आयोजित की जायेगी) टिप्पण: जहां कनिष्ठ कर्मियों पर अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूर्ण होने पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा, इन अर्हता अथवा पात्रता सेवा की आधी से ज़्यादा या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी हो गई है और अगले उच्च श्रेणी की पदोन्नति के लिये परिवीक्षावधि	आकाशवाणी- अध्यक्ष; 2.उप महानिदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन- सदस्य; 3.निदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी- सदस्य; विभागीय पुष्टिकरण समिति: 1.उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी- अध्यक्ष; 2.उप महानिदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन- सदस्य; 3.निदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी- सदस्य	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

[फा. सं.-ए-12018/4/2015-बीए(पी)] विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi the, 5th December, 2018

G.S.R. 1170(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the posts of Inspector of Accounts, Senior Administrative Officer and Administrative Officer and the All India Radio Group 'C' posts Recruitment Rules, 1994, in so far as they relate to the posts of Head Clerk/ Accountant/ Senior Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector of Accounts/ Senior Administrative Officer, Administrative Officer and Head Clerk/ Assistant in Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules and shall be applicable only to the employees in the feeder grade who are Government servants on deemed deputation to the Corporation.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disgualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	educational
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Inspector of Accounts/ Senior Administrative Officer.	45* (2018) * Subject to variation dependent on the work load. Note 1 The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation		level 8 (Rs. 47600- 151100).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
	and the officers and employees of the Corporation. Note 2 These rules shall cease to exist on retirement of all the Inspector of Accounts/Senior Administrative Officers from the Central Government who are on deemed deputation to Corporation.	1.1	ė	<i>з</i> а			

SCHEDULE

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Grade from which recruitment by promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By promotion. Note: The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, that is, the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.	Promotion : Administrative Officer in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Director General (Administration), Akashvani - Chairperson; 2. Deputy Director General (Administration), Doordarshan- Member; 3. Director (Admn.), Akashvani - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Administrative Officer.	*102 (2018) * Subject to variation dependent on the work load. Note 1 The number of posts in each	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial.	level 7 (Rs. 44900- 142400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
	grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the						
	aggregate number of posts occupied by the Government servants on decmed deputation to the						

Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note 2 These rules shall cease to exist on retirement of all the Administrative Officers who		
Officers who are Central Government employees and on deemed		
deputation to Corporation.		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By promotion. Note: The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, that is, the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.	Promotion: Head Clerk/Assistant in Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade. Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their senior would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Director General (Administration), Akashvani Chairperson; 2. Deputy Director General (Administration), Doordarshan - Member;	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Head Clerk/ Assistant.	*561 (2018) * Subject to variation dependent on the work load.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	level 6 (Rs. 35400- 112400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.
	The number of posts in each grade is the total number of the poste							

for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note 2 These rules shall cease to exist on the	ranationed	1 1	1	
of all Head Clerks/ Assistants	sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note 2 These rules shall cease to exist on the retirement of all Head Clerks/	GAZETTE OF INDIA : E	7	• II—SEC.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion or by Limited	Promotion:	Departmental Promotion	Not applicable.
Departmental Competitive	Upper Division Clerk in level 4 (Rs.	Committee (For	
Examination.	25500-81100) in the pay matrix with	considering promotion)	-2-
Note 1: The vacancies arising in a	ten years' regular service in the	consisting of:-	
particular year in promotion quota	grade.	1. Deputy Director	
shall be filled up by two categories	Limited Departmental Competitive	General	
of employees in the feeder grades,	Examination:	(Administration),	
that is, the Government servants	Upper Division Clerk in level 4 (Rs.	Akashvani -	
on deemed deputation to the	25500-81100) in the pay matrix with	Chairperson;	
Corporation and the officers and	five years' regular service in the	2. Deputy Director	
employees of the Corporation, as	grade.	General	
may be decided by the	(The Limited Departmental	(Administration),	
Corporation.	Competitive Examination shall be	Doordarshan- Member;	
Note 2: The vacancies arising in a	held as per the scheme of	3. Director	
particular year shall be filled up	examination notified by the	(Administration),	
through three methods, namely, sixty percent vacancies shall be	Corporation).	Akashvani - Member.	-
filled up by promotion and twenty	Note: - Where juniors who have	Departmental Confirma-	
percent vacancies shall be filled up	completed their qualifying or	tion Committee:	
hy limited departmental	eligibility service are being	1. Deputy Director	
and the same is an alternative second	Land Street	~	

and

eligibility service.

have

completed probation period for

promotion to the next higher grade

along with their juniors who have

already completed such qualifying or

successfully

less,

(Administration), Chairperson; Deputy Director General (Administration), Doordarshan- Member; 3. Director (Administration), Akashvani - Member.

> [F. No. A-12018/4/2015-BA (P)] VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

15

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 MANOJ KUMAR Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. VERMA